



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-07042026-271619  
CG-TL-E-07042026-271619

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1696]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/ चैत्र 17, 1948

No. 1696]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/ CHAITRA 17, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 7 अप्रैल, 2026

**का.आ. 1764(अ).**— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगाना राज्य के पेद्दपल्ली जिले में रामगुंडम गांव और मंडल में विशेष रेलवे परियोजना, “3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य – बल्हारशाह – रामगुंडम सेक्शन में रामगुंडम टीएसएस का निर्माण” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, पेद्दपल्ली को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, पेद्दपल्ली आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है.

### अनुसूची

**अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण** : तेलंगाना राज्य के पेद्दपल्ली जिले में रामगुंडम गांव और मंडल में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य - बल्हारशाह - रामगुंडम सेक्शन में रामगुंडम टीएसएस का निर्माण .

क्रम सं.	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र	भूमि की प्रकृति	पोट सं.	पोडी क्षेत्र	एंजॉयर का नाम	क्षेत्र एकड़ गुंटा में
1	371/1	4-09	पट्टा	3	0-38	टी.विजयकुमार सुपुत्र गोपय्या	0-0844
						नसरीन बेगम पत्नी मिर्जा अफज़ल बेग	0-065
						अज्ञात	0-1422
						मोहम्मद गौस पाषा सुपुत्र मोहम्मद याकुब अली	0-0913
2	372	5-26	पट्टा	2	0-07	टी.विजयकुमार सुपुत्र गोपय्या	0-0295
						नसरीन बेगम पत्नी मिर्जा अफज़ल बेग	0-0405
3	373/1	1-28	पट्टा	3	0-23	टी.विजयकुमार सुपुत्र गोपय्या	0-1858
						नसरीन बेगम पत्नी मिर्जा अफज़ल बेग	0-0081
						अज्ञात	0-0448
<b>कुल</b>							<b>1.28</b>

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/RDM/20A]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

## MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

### NOTIFICATION

Secunderabad, the 7th April, 2026

**S.O. 1764(E)**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project, “Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target – Construction of Ramagundam TSS in Balharshah-Ramagundam section” in Ramagundam Village & Mandal in Peddapalli District in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Peddapalli in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Peddapalli shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

### SCHEDULE

**Description of lands in Acquisition:** For Up – Gradation work of Electric Traction System from 1x25Kv to 2x25Kv traction system to meet 3000 MT loading target- Construction of Ramagundam TSS in Balharshah-Ramagundam section in Ramagundam Village & Mandal in Peddapalli District in the state of Telangana.

S. No..	Survey No	Extent	Nature of Land	Pote No	Phodi Area	Name of the Enjoyer	Extent in Ac. Gts.
1	371/1	4-09	Patta	3	0-38	T.Vijay Kumar S/o Gopaiah	0-0844
						Nasreen Begum W/o Mirza Afzal Baig	0-065
						Un Identified	0-1422
						Mohammed Ghouse Pasha S/o Mohammed Yakoob Ali	0-0913
2	372	5-26	Patta	2	0-07	T.Vijay kumar S/o Gopaiah	0-0295
						Nasreen Begum W/o Mirza Afzal Baig	0-0405
3	373/1	1-28	Patta	3	0-23	T.Vijay kumar S/o Gopaiah	0-1858
						Nasreen Begum W/o Mirza Afzal Baig	0-0081
						Un Identified	0-0448
<b>Total</b>							<b>1.28</b>

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/RDM/20A]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II